HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16382/2025

Ramesh Kumar Dulariya S/o Late Bhura Ram Dulariya

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16880/2025

Mohammad Sohil S/o Ali Khan

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Mahesh Jatwa Mr. Manoj Ojla
For Respondent(s)	:	Mr. Rajendra Singh Shekhawat, PP with Mr. Anirudh Singh

---

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

13/01/2026

विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त रमेश कुमार दुलारिया को भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर द्वारा विवादित प्लॉट का पट्टा दिनांक 20.01.1998 को जारी किया गया और उसके आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उक्त विवादित भूखंड जरिए रजिस्टर्ड सेल डीड दिनांक 15.01.2025 को राजेन्द्र सिंह पूनिया को बेचान किया गया और तदुपरांत राजेन्द्र सिंह पूनिया द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण से उक्त विवादित भूखंड का पट्टा प्राप्त किया गया। इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर का सद्भाविक आवंटी है और सद्भाविक रूप से प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य व्यक्ति राजेन्द्र सिंह को बेचान किया गया। उनका तर्क है कि परिवादी चन्द्र प्रकाश को तथाकथित रूप से भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड,

जयपुर द्वारा पट्टा वर्ष 2000 में जारी करना बताया गया है। इस संदर्भ में जेडीए के समक्ष भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर द्वारा जो सूची आवंटियों के संदर्भ में प्रेषित की गई है, उसमें प्लॉट संख्या 4 (विवादित भूखंड) के संदर्भ में किसी आवंटी का नाम दर्शित नहीं किया गया है।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और उक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट में यह तथ्य दर्शित किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ परस्पर षड़यंत्र कारित करते हुए फर्जी कूटरचित पट्टे के आधार पर उक्त संपत्ति अन्य सहअभियुक्त राजेन्द्र सिंह को बेचान की है और राजेन्द्र सिंह द्वारा फिर उस कूटरचित पट्टे के आधार पर जेडीए से पट्टा प्राप्त कर उक्त संपत्ति अन्य व्यक्ति सुरेश कुमार को बेचान कर दी गई है। तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट नहीं हो पाया है कि विवादित संपत्ति के संदर्भ में रमेश कुमार दुलारिया द्वारा जो तथाकथित रूप से आवंटन पत्र (जिसे परिवादी कूटरचित होना कहता है) जारी किया गया है, वह आवंटन पत्र विधिवत रूप से भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर द्वारा जारी किया गया है या नहीं इस संदर्भ में तथ्यात्मक रिपोर्ट से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर द्वारा विवादित प्लॉट के अतिरिक्त अन्य प्लॉट किन–किन व्यक्तियों को आवंटित किए गए और आवंटियों की सूची किस प्रकार से है।

उपरोक्त संदर्भ में विद्वान् लोक अभियोजक को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित अनुसंधान अधिकारी को उपरोक्त तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए आगामी तिथि को न्यायालय के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित रखें।

प्रकरण दिनांक 21.01.2026 को सूचीबद्ध हो।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

MOHIT/ 59-60